दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे

SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY

मंडल कार्यालय, कार्मिक विभाग, किंग्सवे ,नागपुर-440001

Divisional Office, Personnel Department, Kingsway,Nagpur-440001

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

No. P/NGP/CDR/2021/26 Date: 06/09/2021

Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

NOTIFICATION

Engagement of Apprentices under the Apprentices Act 1961 and Apprenticeship Rule 1962 over Nagpur Division & Workshop Motibagh, of South East Central Railway.

1. Online application through the website: **https://apprenticeshipindia.org** from 06-09-2021 to 05-10-2021 (till 23:59 hrs) are invited from the eligible candidates for engagement as Trade Apprentices under Apprentices Act 1961 and Apprenticeship Rule 1962 in Nagpur Division & Workshop Motibagh/Nagpur of South East Central Railway against the following designated trades:

(i) For Nagpur Division (Establishment Code: E05202702695)

Sr. No.	Trade	No. of Slots						PH	Ex. Serv.	Trg. Period
		UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL			
1	Fitter	08	3	2	5	02	20	01	02	1 Year
2	Carpenter	08	3	2	5	02	20	01	02	
3	Welder	08	3	2	5	02	20	01	02	
4	COPA	37	13	07	24	09	90	03	09	
5	Electrician	16	06	03	11	04	40	01	04	
6	Stenographer(English)/ Secretarial Assistant	9	04	02	07	03	25	01	02	
7	Plumber	06	02	01	04	02	15	01	02	
8	Painter	06	02	01	04	02	15	01	02	
9	Wireman	04	01	01	03	01	10	00	01	
10	Electronics Mechanic	2	1	0	1	--	4	-	-	
11	Mechanic Machine Tool Maintenance	2	--	--	--	--	2	-	-	
12	Diesel Mechanic	14	05	03	09	04	35	01	03	
13	Upholsterer (Trimmer)	2	--	--	--	--	2	-	-	
	Total	122	43	24	78	31	298	11	29	

(ii)For Workshop Motibagh :(Establishment Code: E05202702494)

1	Fitter	08	3	2	5	02	20	01	02	1 Year
2	Welder	08	3	2	5	02	20	01	02	
3	Stenographer(English)	1	0	0	0	--	01	--		
	Total	17	6	4	10	4	41	02	04	

*Vacancies above may be increased/decreased with the discretion of administration, if necessary.

2. ELIGIBILITY CONDITIONS

2.1 The candidates should have completed 15 years of age and should not have completed 24 years of age as on **01.09.2021**.

2.2 Upper age limit is relatable by 05 years in case of SC/ST candidates, 3 years in case of OBC candidates.

2.3 For Divyang (PWBD), upper age limit is relaxed by 10 years. The date of birth community wise is furnished below:

Srl. No.	Community	Candidate should be born between
1	UR	01.09.1997 to 01.09.2006
2	OBC	01.09.1994 to 01.09.2006
3	SC/ST	01.09.1992 to 01.09.2006
4	PWBD/Ex-Serviceman	01.09.1987 to 01.09.2006

***Age relaxation is subject to submission of latest caste certificate (in central format).**

2.4 Upper age limit is relatable by up to additional 10 years for ex-servicemen to the extent of service rendered in Defiance Forces plus 03 years provided they have put in a minimum of 6 months service at a stretch, except Ex-servicemen who have already joined the Govt. service on Civil side after availing the servicemen status for the purpose of their engagement. However, regardless of community, Ex-servicemen will be considered against the Ex-servicemen quota, if available. If UR vacancies are not available then only Ex-Serviceman belonging to those particular communities where vacancies are available will be considered against the Ex-Servicemen quota.

2.5 The candidates, who want to avail the benefit of reservation of SC/ST, must produce his/her Caste certificate on Central Government format issued by appropriate authority according to Annexure-I at the time of Document Verification. Similarly, the candidates who want to avail the benefit of reservation of OBC must produce Caste certificate and Non-Creamy Layer Certificate issued on or after **01/04/2021** on Central Government format by appropriate authority as per sample Annexure-II at the time of Document Verification.

2.6 Wards/dependents of Railway employees (as per Pass Rule) can also apply online.

3. MINIMUM EDUCATIONAL QUALIFICATION

3.1 The candidate must have passed 10th class examination or its equivalent (under 10+2 examination system) with minimum 50% marks, in aggregate, from recognized Board and also possess National Trade Certificate in the notified trade issued by the National Council for Vocational Training or Provisional Certificate issued by National Council for Vocational Training / State Council for Vocational Training. The candidate should possess the required qualification as on date of opening of online notification i.e. 06.09.2021.

4. MODE OF SELECTION:

4.1 Selection will be on the basis of merit list prepared in respect of all the candidates who apply against the notification. The merit list will be prepared on the basis of percentage of marks in matriculation [with minimum 50% (aggregate) marks] plus ITI marks (Estt. Rule No. 201/2017) in the trade in which Apprenticeship is to be done. The panel will be on the basis of simple average of marks in the matriculation and ITI (Entire duration of course).

For the purpose of calculation of percentage of matriculation, marks obtained by the candidates in all subjects will be reckoned and not on the basis of marks of any subject or a group of subjects.

For the purpose of calculation of percentage of ITI marks, average marks mentioned in consolidated statement of marks for all semesters of the trade applied / marks mentioned in the Provisional National Trade Certificate issued by NCVT / SCVT will only be reckoned.

For the purpose of calculation of percentage of marks of SSC of candidates from Board of Secondary Education Andhra Pradesh, Board of Public Examination, Kerala etc. Nagpur division of SECR will take midpoint of range of grades obtained by the candidates. After obtaining midpoints of all the attempted subjects according to grades awarded, average will be calculated treating each subject is out of 100 marks, as there is no standard method or multiplying factor for calculation of average of matriculation for such Boards.

4.2 In case of two candidates having the same marks, the candidates with older age shall be preferred. In case the dates of birth are also same, then the candidate who passed matriculation exam earlier shall be considered first.

4.3 A final merit list will be prepared cluster/unit wise, trade wise and community wise, equal to the number of slots in the descending order of percentage of marks obtained by the candidate.

4.4 The shortlisted candidates would be subject to verification of all original testimonials and being found fit in appropriate Medical examination by Railways as applicable for the Workshop and for the other Units of division.

5. Candidates have to choose either Nagpur Division or Motibagh Workshop.

1) Nagpur Division.
2) Motibagh, Workshop, Nagpur

6. **TRAINING & STIPEND :**

The training will be regulated according to standards/syllabus issued by Central Apprenticeship Council. The candidates undergoing training will be eligible for stipend as per prescribed rates.

7. **MEDICAL FITNESS**

7.1 In terms of Railway Board's letter No. E(MPP)/2009/6/14 dated 04/12/2018 to bring medical certificate as per the 'SCHEDULE-II' attached with the notification, at the time of document verification "The medical certificate should be signed by Government authorized doctor(Gaz.), not below the rank of Asst. Surgeon of Central/State Hospital" without medical certificate, as referred above, no document verification will be conducted and candidature is liable to be cancelled.

8. **EX-SERVICEMEN**

8.1 An Ex-servicemen candidate selected under the reservation provided for them is to be placed in the appropriate category viz. UR/SC/ST/OBC to which he belongs. Ex-servicemen, their children and children of Armed Force personnel will be engaged for Apprenticeship as per details mentioned below:

a) Children of deceased/disabled Ex-servicemen including those killed/disabled during peacetime.
b) Children of Ex-servicemen
c) Children of Serving Jawan
d) Children of Serving Officer
e) Ex-Servicemen

8.2 The candidates who want to avail the benefit of reservation of Ex-servicemen and Armed Forces Personnel, must produce Discharge certificate and in case of children of Ex-servicemen and children of Armed Forces Personnel, they must produce discharge certificate or Armed Forces serving certificate respectively (as the case may be) of his/her parents at the time of document verification.

9. **STANDARDS OF FITNESS FOR THE "DIVYANG" PERSONS**

9.1 "Divyang (PWD) who wants to avail the benefit of reservation must produce a disability certificate issued by a competent authority (i.e. Medical Board duly constituted by the Central or State Government including one specialist in the particular field for assessing disability).

10. **LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATION**

10.1 The ONLINE application completed in all respect, can be submitted through online from 06-09-2021 to 05-10-2021 (23:59 hrs). No physical copy of the application is required to be sent to Nagpur Division of SECR. Even if it is received, no cognizance will be given to it.

11 **AGREEMENT OF TRAINING**

11.1 Before commencement of the Apprenticeship training in the designated trade, the selected candidate has to enter into a Contract of Apprenticeship Training with the following provisions:

11.2 Where the Contract of Apprenticeship is terminated through failure on the part of the employer in carrying out the terms and conditions of the contract (as notified under the Apprenticeship Rules 1992), candidate will be paid apprentice compensation as prescribed.

11.3 In the event of premature termination of Contract of Apprenticeship for failure on the part of apprentice to carry out the terms and conditions of the contract (as notified under the Apprenticeship Rules 1992), the candidate/surety has to pay such amount as is determined by the Apprenticeship Adviser as and towards the cost of training.

11.4 It is not obligatory on the part of employer to offer any employment to the passed out trade apprentice on completion of the period of apprenticeship Training in his establishment nor shall it be obligatory on the part of the Apprentice to accept an employment under the employer.

11.5 In case the selected candidate is minor then, his/her guardian has to enter into a Contract of Apprenticeship with the employer.

12. **IMPORTANT GENERAL INSTRUCTIONS**

12.1 Applications must be submitted online only on the web address https://apprenticeshipindia.org

12.2 Imparting Training in Railway will not confer any right to the candidates for their absorption in Railway after successful completion of training. In terms of para-10 of Schedule V of the Apprenticeship Rules,1991, notified on 15.07.92 by the Ministry of Labour, it shall not be obligatory on the part of the employer to offer any employment to the Apprentice on completion of period of his/her apprenticeship training in his / her establishment. It shall not be obligatory on the part of the apprentice to accept an employment under the employer. Imparting Training in Railway will not confer any right to the candidates for their absorption in Railway after completion of Training. In other words, the candidates will have no prescriptive right for regular absorption/employment in Railway service on completion of the training (The trained

apprentices will not be absorbed directly in Railway services. However, they have been provided with 20% reservation in RRC Recruitment as and when conducted.) as per Railway Board's existing directives.

12.3 No correspondences regarding engagement will be entertained.

12.4 CANVASSING IN ANY FORM WILL DISQUALIFY THE CANDIDATURE AND NO CORRESPONDENCE WILL BE ENTERTAINED IN THE MATTER.

12.5 Before applying, the candidates should ensure that he/she fulfils the eligibility and other criteria. If erroneously engaged, such candidates shall be summarily dismissed without notice at any stage.

12.6 Candidature of the candidate shall be cancelled if he/she fails to produce the required original testimonials for verification or any other discrepancy noticed.

12.7 If it is noticed by the Railway administration that the candidate has furnished Wrong /fake Certificates/false certificates, the Railway administration reserves the right to discharge the candidate/selected candidate at any stage without notice, even after his/her selection to undergo training. Further they may be liable for penal action.

12.8 The Railway administrations do not undertake any responsibility for sending reply to the candidates not selected or not called for. No correspondence in respect of the application submitted shall be entertained or replied by this office to any individual or organization.

12.9 The Railway administration will not be responsible for any printing error.

12.10 The Engineering Graduates & Diploma Holder are not eligible to apply for apprenticeship in response to this notification as they are governed by a separate scheme of Apprenticeship.

12.11 No daily allowance/conveyance allowance or travelling allowance will be paid to the candidates called for document verification.

12.12 Candidates need not send any application printouts, certificates, or copies to Nagpur Division of SECR by post. The candidature of the candidates will be considered only on the strength of the information furnished in the ONLINE application.

12.13 After selection for engagement, request of candidate to change the division/ unit will not be entertained.

12.14 The candidates who are called on any day notified by the Administration for verification of certificates are not eligible for any travelling/Dearness Allowances.

12.15 The apprentices shall be governed by the provisions of apprentices Act, 1961 and apprenticeship Rules, 1961 as amended from time to time and such other Railway Rules and Regulations applicable to them.

12.16 In case an apprentice discontinues the apprenticeship training and fails to fulfil the obligations as per his contract without valid reasons, he shall have to refund the stipend paid to him, the cost of training and such other costs that may be determined under the rules by Railway Administration. The decision of the railway Administration in this regard will be final and binding.

12.17 No accommodation will be provided by Railway for apprentices. They will have to make their own arrangements.

12.18 While utmost care will be taken for finalising the final list of eligible candidates, in case of any oversight the administration has the right to make changes at any level and decision of administration will be final and binding.

13 **HELP DESK**

13.1 For any problems in the Online submission and printing of Application, sent email on arunkumar.0104@gov.in

(Sangram Soren) 6/9/21
Divisional Personnel Officer
For Divisional Personnel Officer(I/c)
S. E. C. Railway, Nagpur

No. P/NGP/CDR/2021/26 Date: 06.09.2021

Copy forwarded for information & necessary action to:-

1) District Employment Officer – Nagpur, Bhandara, Gondia, Chandrapur, Rajnandgaon, Mandla, Chhindwara, Seoni, Jabalpur & Balaghat – They are requested to advise the candidates to apply only online on the web address: https://apprenticeshipindia.org
2) PCPO/SECR/BSP – for information.
3) Ch. OS (G) – For kind information of DRM/ADRM.
4) CWM/WS/MIB/NGP – For kind information.
5) All Branch Officers of S. E. C. Railway, Nagpur Division.
6) Divl. Co-ordinator/SECRMC/Nagpur Division.
7) Divl. Secretary OBC & SC/ST Railway Employees Associations, SECR/NGP.
8) DPOs/APO of this office.
9) P.R.O. SECR/Nagpur.
10) All Ch. SWIs of this office.
11) Notice Board

For Divisional Personnel Officer(I/c)
S. E. C. Railway, Nagpur

दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे

SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY

मंडल कार्यालय, कार्मिक विभाग, किंग्सवे, नागपुर-440001

Divisional Office, Personnel Department, Kingsway, Nagpur-440001

संख्या: पी/एनजीपी/कैडर/2021/26 दिनांक: 06.09.2021

Skill India

अधिसूचना

विषय: अप्रेंटिस एक्ट–1961 एवं अप्रेंटिस नियम–1962 के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल एवं मोतीबाग वर्कशॉप, नागपुर में वर्ष 2021–22 के लिए अप्रेंटिस का इंगेजमेंट।

*****

1. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल एवं मोतीबाग वर्कशॉप, नागपुर में अप्रेंटिस एक्ट–1961 के अंतर्गत निम्नलिखित पदनामित ट्रेडों पर अप्रेंटिस के रूप में इंगेजमेंट के लिए पात्र उम्मीदवारों से **https://apprenticeshipindia.org** वेबसाइट पर दिनांक 06.09.2021 से 05.10.2021 (रात 23:59 बजे तक) ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

अ) नागपुर मंडल के लिए

Sr. No.	Trade	No. of Slots						PH	Ex. Serv.	प्रशिक्षण अवधि
		UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL			
1	Fitter	08	3	2		02	20	01	02	1 Year
2	Carpenter	08	3	2	5	02	20	01	02	
3	Welder	08	3	2	5	02	20	01	02	
4	COPA	37	13	07	24	09	90	03	09	
5	Electrician	16	06	03	11	04	40	01	04	
6	Stenographer(English)/ Secretarial Assistant	9	04	02	07	03	25	01	02	
7	Plumber	06	02	01	04	02	15	01	02	
8	Painter	06	02	01	04	02	15	01	02	
9	Wireman	04	01	01	03	01	10	00	01	
10	Electronics Mechanic	2	1	0	1	--	4	-	-	
11	Mechanic Machine Tool Maintenance	2	--	--	--	--	2	-	-	
12	Diesel Mechanic	14	05	03	09	04	35	01	03	
13	Upholsterer (Trimmer)	2	--	--	--	--	2	-	-	
	Total	**122**	**43**	**24**	**78**	**31**	**298**	**11**	**29**	

ब) मोतीबाग वर्कशॉप, नागपुर के लिए

Sr. No.	Trade	No. of Slots						PH	Ex. Serv.	प्रशिक्षण अवधि
		UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL			
1	Fitter	08	3	2	5	02	20	01	02	1 वर्ष
2	Welder	08	3	2	5	02	20	01	02	
3	Stenographer(English)	1	0	0	0	--	01	--		
	Total	17	6	4	10	4	41	02	04	

* यदि आवश्यक हो तो प्रशासन के विवेक से उपरोक्त रिक्तियों को बढ़ाया / घटाया जा सकता है

2. <u>पात्रता शर्तें</u> :

2.1 उम्मीदवार ने 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और अधिसूचना जारी होने की तिथि अर्थात 01.09.2021 को वह 24 वर्ष पूर्ण नहीं किया हुआ हो ।

2.2 अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्षों तक की छूट होगी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऊपरी आयु सीमा में 03 वर्षों तक की छूट होगी ।

2.3 दिव्यॉग (PWD) उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट होगी । समुदायवार जन्म तिथि निम्नानुसार होनी चाहिए:

क्रमसं.	समुदाय	अभ्यर्थी का जन्म निम्नलिखित दिनॉक के बीच हुआ हो
1	अनारक्षित	01.09.1997 to 01.09.2006
2	अन्य पिछडा वर्ग	01.09.1994 to 01.09.2006
3	अनुसूचित जाति/जनजाति	31.07.1992 to 01.09.2006
4	दिव्यांग / भूतपूर्व सैनिक	31.07.1987 to 01.09.2006

- उम्र में छूट हाल का जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर ही मिलेगी ।(प्रारूप जो केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए वैद्य हो)

2.4 भूतपूर्व सैनिक जो इस कोटे के तहत पहले ही सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं के अलावा ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जिन्होंने रक्षा बलों में सेवा प्रदान की है, ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त 10 वर्षों की छूट दी जाएगी और अतिरिक्त 03 वर्षों की छूट प्रदान की जाएगी बशर्ते उन्होंने एक बार में 6 महिनों की लगातार सेवा की हो । हालांकि, यदि उपलब्ध हो तो,श्रेणी की परवाह किए बिना, भूतपूर्व सैनिकों को भूतपूर्व सैनिक कोटा के तहत लिया जाएगा । यदि, सामान्य कोटि में रिक्तियाँ उपलब्ध न होने पर केवल उन विशेष समुदायों से संबंधित भूतपूर्व सैनिक जिनकी रिक्तियाँ उपलब्ध हैं, भूतपूर्व सैनिकों के कोटा के अंतर्गत विचार किया जाएगा।

3. <u>न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता</u> :

3.1 उम्मीदवार को, मान्यताप्रांप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष (10 + 2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत), कम से कम औसतन 50% अंकों के साथ, पास किया होना चाहिए और उम्मीदवार के पास अधिसूचित ट्रेड में नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा जारी नेशनल ट्रेड सर्टीफिकेट या उसके पास नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग/स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा जारी किया गया अनंतिम प्रमाणपत्र हो । उम्मीदवार के पास अधिसूचना की तारीख अर्थात दि. 06.09.2021 को आवश्यक उपरोक्त आवश्यक योग्यताएँ होनी चाहिए।

4. <u>चयन प्रणाली / (चयन का तरीका)</u>

4.1 अधिसूचना के तहत आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों की तैयार मेरिट सूची के आधार पर चयन किया जाएगा। मैट्रिक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर (कम से कम 50% (कुल अंक) + जिस ट्रेडं में प्रशिक्षत किया जाना है उस ट्रेड में आईटीआई अंकों के आधारं पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी । मैट्रिक और आईटीआई (कोर्स की पूरी अवधि) के सामान्य औसत अंकों के आधार पर पैनल तैयार होगा । मैट्रिक के प्रतिशत की गणना, उम्मीदवारों द्वारा सभी विषयों में प्राप्त अंको के आधार पर की जाएगी न कि किसी एक विषय या विषयों के समूह के आधार पर ।

- आईटीआई अंकों के प्रतिशत की गणना, एनसीवीटी / एससीवीटी द्वारा जारी अनंतिम नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट में उल्लिखित ट्रेड के सभी सेमेस्टर के अंक तालिका में उल्लिखित औसत अंकों के आधार पर की जाएगी ।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आंध्र प्रदेश, सार्वजनिक परीक्षा बोर्ड, केरल इत्यादि के उम्मीदवारों के एसएससी के अंकों के प्रतिशत की गणना हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल द्वारा उम्मींद्वारों के प्राप्तांक ग्रेड के म्ध्य बिंदु लिए जाएँगे। उम्मीद्वार द्वारा दिए गए सभी विषयों में प्राप्त ग्रेड के मध्य बिंदुओं को प्राप्त करने के बाद, औसत गणना की जाएगी । औसत का आकलन प्रत्येक विषय को अधिकतम 100 अंकों का मानकर किया जाएगा क्योंकि इस तरह के बोर्डों के लिए मैट्रिक के औसत की गणना के लिए कोई मानक विधि या गुणक नहीं है।

4.2 यदि, दो उम्मींद्वार एक जैसे अंक प्राप्त करते हैं तो उम्र में बड़े उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जाएगी । यदि दोनों की जन्मतारीखें एक समान हैं, तो जो उम्मीदवार पहले मैट्रिक परीक्षा पास करता है उसका पहले विचार किया जाएगा । .

4.3 उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अवरोही क्रम में स्लॉट की संख्या के बराबर एक अंतिम मेरिट सूची क्लस्टर/यूनिट वार, ट्रेड वार और समुदाय-वार तैयार की जाएगी। .

4.4 शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार सभी मूल प्रमाणपत्रों के सत्यापन तथा वर्कशॉप एवं डिवीजन के अन्य इकाइयों के लिए लागू रेलवे की उचित मेडिकल परीक्षा में फिट पाए गए हों ।

4.5 ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के दौरान प्रत्येक आवेदक को एक पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया/पत्राचार के अगले चरण के लिए अपने पंजीकरण संख्या को सुरक्षित/नोट करके रखे ।

5. उम्मीदवारों को या तो नागपुर मंडल या मोतीबाग वर्कशॉप को चुनना होगा।

1) नागपुर मंडल
2) मोतीबाग वर्कशॉप, नागपुर

6. **<u>प्रशिक्षण एवं स्टायपेंड / (वजीफा)</u>**

सेंट्रल एप्रेटिशिप काउंसिल द्वारा जारी मानक / पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण को विनियमित किया जाएगा। प्रशिक्षण के माध्यम से आने वाले उम्मीदवार निर्धारित दर के अनुसार स्टायपेंड के लिए पात्र होंगे।

7. **<u>मेडिकल फिटनेस (Fitness)</u>**

7.1 एक व्यक्ति अपरेंटिस अधिनियम, 1961 और अपरेंटिसशिप नियम, 1992, समय-समय पर संशोधित के तहत प्रशिक्षित होने के लिए पात्र होगा यदि वह उपरोक्त अधिनियम में निर्धारित शारीरिक फिटनेस के न्यूनतम मानकों को पूरा करता है ।

8. **<u>भूतपूर्व सैनिक:</u>**

8.1 भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रदान किए गए आरक्षण के तहत चयनित भूतपूर्व सैनिकों को उपयुक्त श्रेणी अर्थात सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.व. जिससे वे संबंधित हैं, में रखा जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों, उनके बच्चों एवं सशस्त्र सेना कर्मियों के बच्चों को निम्नलिखित विवरण के अनुसार एंगेज किया जाएगा :-

क) शांति के समय मारे गए/विकलांग लोगों सहित मृतक/विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे।
ख) भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे।
ग) नौकरीपेशा जवानों के बच्चे
घ) नौकरीपेशा अधिकारी के बच्चे
ड) भूतपूर्व सैनिक

8.2 जो उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिकों और सशस्त्र बलों के कार्मिकों के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें निर्वहन प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिकों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के बच्चों के मामले में, उनके माता-पिता का निर्वहन प्रमाण पत्र या सशस्त्र सेना के अनुप्रमाणन प्रमाणपत्र दस्तावेज (जैसा भी मामला हो) सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा ।

9. **दिव्यांग (PWBD) व्यक्तियों के लिए फिटनेस के मानक:**

9.1 दिव्यांग (PWBD), जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (यानी, केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड जिसमें विकलांगता के मूल्यांकन के लिए विशेष क्षेत्र का एक विशेषज्ञ)। विकलांगता प्रमाण पत्र अनुबंध- III / IV / V / VI संलग्न के अनुसार ही होना चाहिए।

10 **प्रशिक्षण का अनुबंध:**

10.1 नामित ट्रेड में अप्रेटिंसशीप प्रशिक्षण शुरू करने से पहले, चयनित उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रावधानों के साथ अप्रेटिंसशीप प्रशिक्षण का अनुबंध करना होगा :

10.2 जहां अप्रेटिंसशीप का अनुबंध, नियोक्ता द्वारा अनुबंध की शर्तों (जैसे अप्रेटिंसशीप नियम 1992 के तहत अधिसूचित) को पूरा न कर पाने की वजह से समाप्त होता है, उम्मीद्वार को निर्धारित मुआवजे के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

10.3 जहां अप्रेटिंसशीप का अनुबंध, उम्मीद्वार द्वारा अनुबंध की शर्तों (जैसे अप्रेटिंसशीप नियम 1992 के तहत अधिसूचित) को पूरा न कर पाने की वजह से समाप्त होता है, उम्मीद्वार को जमानती राशि का भुगतान करना होगा जो प्रशिक्षु सलाहकार द्वारा प्रशिक्षण की लागत के अनुसार निर्धारित किया जाता है ।

10.4 यह नियोक्ता के लिए अनिवार्य नहीं है अपने संस्थान में प्रशिक्षु प्रशिक्षण की अवधि के पूरा होने पर ट्रेड अप्रेन्टिस को किसी भी रोजगार प्रदान करे और न ही ट्रेड अप्रेन्टिस के लिए अनिवार्य होगा कि नियोक्ता के तहत रोजगार को स्वीकार करें ।

10.5 यदि चयनित उम्मीदवार नाबालिग है, तो उसके संरक्षक को नियोक्ता के साथ अप्रेटिंसशीप का अनुबंध करनां होगा।

11. **महत्वपूर्ण सामान्य निर्देश :**

11.1 आवेदन केवल निम्नलिखित वेब के माध्यम से ही करें, वेबसाइट का पता– https://apprenticeshipindia.org

11.2 रेलवे में प्रशिक्षण देने से प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद रेलवे में उनके समावेशन के लिए उम्मीदवारों को कोई अधिकार नहीं होगा। श्रम मंत्रालय द्वारा 15.07.92 को अधिसूचित शिक्षुता नियम, 1991 के अनुसूची वी के पैरा -10 के अनुसार, नियोक्ता के लिए प्रशिक्षु प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति पर उसके प्रतिष्ठान में अपरेंटिस को किसी भी रोजगार की पेशकश करना अनिवार्य नहीं होगा । नियोक्ता के तहत रोजगार को स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षु के लिए भी यह अनिवार्य नहीं होगा। रेलवे में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उम्मीदवारों को रेलवे में उनके समावेशन के लिए कोई अधिकार नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में, प्रशिक्षण के पूरा होने पर रेलवे सेवा में नियमित समावेशन/रोजगार के लिए उम्मीदवारों को अधिकार नहीं होगा (प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को सीधे रेलवे सेवाओं में नहीं जोड़ा जाएगा) हालांकि, उन्हें वर्तमान नियमानुसार आरआरसी भर्ती, जब भी आयोजित की जाएगी, में 20% आरक्षण प्रदान किया गया है) ।

11.3 इंगेजमेंट् के बारे में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा ।

11.4 किसी भी प्रारूप में की गयी कैनवसिंग उम्मीदवार को अयोग्य कर देगी और इस मामले में कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा ।

11.5 आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पात्रता और अन्य मानदंडों को पूरा करता है। यदि इंगेजमेंट गलती से हुआ हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों को किसी भी समय नोटिस के बिना किसी भी स्तर पर खारिज कर दिया जाएगा।

11.6 उम्मीदवार यदि सत्यापन के लिए आवश्यक मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है या कोई अन्य विसंगति पाई जाती है तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा।

11.7 यदि रेलवे प्रशासन द्वारा यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने गलत/नकली प्रमाणपत्र/झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, रेलवे प्रशासन किसी भी स्तर पर उम्मीदवार/चयनित उम्मीदवारों को बिना किसी सूचना के निर्वहन का अधिकार सुरक्षित रखता है, यहां तक कि प्रशिक्षण के उनके चयन के बाद भी । इसके अलावा, वे दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।

11.8 रेलवे प्रशासन किसी भी उम्मीदवार जिनका चयन नहीं हुआ है या जिन्हें बुलाया नहीं गया है,को जवाब भेजने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है । इस कार्यालय द्वारा, जमा किए गए आवेदन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन को जवाब नहीं दिया जाएगा ।

11.9 रेलवे प्रशासन किसी भी मुद्रण त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा ।

11.10 इंजीनियरिंग स्नातक और डिप्लोमा धारक इस अधिसूचना के जवाब में शिक्षुता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि वे प्रशिक्षु की एक अलग योजना द्वारा शासित हैं।

11.11 दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को कोई दैनिक भत्ता / वाहन भत्ता या यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।

11.12 उम्मीदवारों को किसी भी आवेदन प्रिंटआउट या प्रमाण पत्र की प्रतियाँ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर डिवीजन को भेजने की जरूरत नहीं है। उम्मीदवारों की उम्मीदवारी केवल ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी की आधार पर ही होगी।

11.13 इंगेजमेंट के लिए चयन के बाद, डिवीज़न / यूनिट को बदलने के लिए उम्मीदवार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

11.14 प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए प्रशासन द्वारा अधिसूचित दिन पर बुलाए गए उम्मीदवार किसी भी यात्रा/महंगाई भत्ते के लिए पात्र नहीं हैं।

18.15 शिक्षुओं को प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 और शिक्षुता नियम, 1961 के प्रावधानों द्वारा समय-समय पर संशोधित और उन पर लागू अन्य रेलवे नियमों और विनियमों द्वारा शासित किया जाएगा।

11.16 यदि कोई प्रशिक्षु अप्रेटिंशिप प्रशिक्षण को बंद कर देता है और वैध कारणों के बिना अपने अनुबंध के अनुसार दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे भुगतान की गई वृत्ति, प्रशिक्षण की लागत और ऐसे अन्य लागतों को वापस करना होगा जो रेलवे प्रशासन द्वारा नियमों के अनुसार निर्धारित किए जा सकते हैं। इस संबंध में रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

11.17 प्रशिक्षुओं के लिए रेलवे द्वारा कोई आवास प्रदान नहीं किया जाएगा उन्हें अपनी स्वयं की व्यवस्था करना होगा।

11.18 तथापि पात्र उम्मीदवारों की अंतिम सूची को अंतिम रूप देने के लिए अत्यंत सावधानी बरती जाएगी, किसी भी निरीक्षण के मामले में प्रशासन को किसी भी स्तर पर परिवर्तन करने का अधिकार है और प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा ।

12 **आवेदन प्राप्ति के अंतिम दिनांक:**

12.1 पूर्ण रूप से भरे गए ऑन लाइन आवेदन को केवल ऑनलाइन प्रक्रिया से दिनांक 06-09-2021 से 05-10-2021 को 23:59 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा। कृपया आवेदन की दैहिक (physical) प्रति इस कार्यालय को न भेजें ।

टिप्पणी: किसी संशय/विरोधाभास की स्थिती में अधिसूचना की अँग्रेजी प्रारूप ही मान्य होगा ।

6/9/21

(संग्राम सोरेन)

मंडल कार्मिक अधिकारी

कृते वरि.मंडल कार्मिक अधिकारी

द.पू.म.रेलवे/नागपुर

No. P/NGP/CDR/2021/26

दिनाँक : 06.09.2021

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1) जिला रोजगार अधिकारी - नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, राजनांदगाँव, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी से अनुरोध है कि योग्य उम्मीद्वारों से आग्रह करें कि वे इस कार्यालय की वेबसाइट https://apprenticeshipindia.org के माध्यम से आवेदन करें।
2) प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी - सूचनार्थ ।
3) मु.कार्यालय अधीक्षक(सामान्य)-मंडल, रेल प्रबंधक/नागपुर एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक /नागपुर के सूचनार्थ ।
4) समस्त शाखाधिकारी/द.पू.म.रेलवे, नागपुर मंडल ।
5) मंडल समन्वयक - द.पू.म.रे.मजदूर कॉंग्रेस, नागपुर ।
6) मंडल सचिव, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अ.जा/अ.ज.जा रेल कर्मचारी संघ/नागपुर मंडल।
7) मंडल कार्मिक अधिकारी-I, II /सहायक कार्मिक अधिकारी नागपुर।
8) जन संपर्क अधिकारी, द.पू.म.रेलवे, नागपुर।
9) समस्त मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक ।
10) सूचना पटल ।

कृते वरि.मंडल कार्मिक अधिकारी

द.पू.म.रेलवे/नागपुर